

वनभूमि की मांग का औचित्य

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 441/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मझेड़ा-कुमारती-सौर-नौरड़ मोटर मार्ग का निर्माण।(5.00किमी.)(0.630है०)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 6108/III(2)/14-33(प्रा.आ.)/2014 दिनांक 19.12.2014 के द्वारा 5.00 किमी. लम्बाई हेतु 43.31 लाख मात्र के लिए प्राप्त हुई है। मार्ग निर्माण से ग्राम सौर, कुणझड़ा, नाहुरी, धूरा आदि अन्य तोक सहित ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय तथा ब्लाक मुख्यालय से सीधे जुड़ने की सुविधा उपलब्ध होगी। मार्ग निर्माण हेतु स्थल पर सर्वेक्षण कार्य कराया गया है परन्तु इस मार्ग निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया है जिसमें न्यूनतम वन भूमि प्रभावित होती हो।

इस मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित समरेखण में 0.270है० सिविल बेनाप व वन पंचायत 0.360है० वन भूमि प्रभावित होती है। इस हेतु कुल 0.630 है० वनभूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव गठित किया गया है।


कनिष्ठ अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


सहायक अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत


अधिसारी अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत